मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन के सृजन तथा समाप्ति)

नियम, 2018

(धारा 13 के अधीन निर्मित)

दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से प्रभावशील

3

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-2-11/2018/सात/शा-6 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 174-6477-सात-एन-(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 22 जनवरी, 1960 को प्रकाशित हुई थी तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जो पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 है।

(2) ये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रारंभ होने की तारीख से अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. किसी संभाग या जिले या उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित करने का या नवीन सृजन करने का अथवा किसी विद्यमान संभाग या जिले या उप-खण्ड को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव प्ररूप-एक में प्रकाशित कराया जाएगा और किसी तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने या नवीन सृजन करने का या किसी विद्यमान तहसील को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इन नियमों से संलग्न प्ररूप-दो में प्रकाशित किया जाएगा।

[ ] नियम 2 संशोधन नियम दिनांक 14 जून, 2019 जो कि राजपत्र दिनांक 21 जून, 2019 में प्रकाशित है, द्वारा संशोधन (प्रतिस्थापित) किया गया, देखें राजपत्र दिनांक 21.06.2019

3. किसी नवीन तहसील के सृजन या किसी तहसील की सीमाओं के परिवर्तन की दशा में किसी ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण क्षेत्र एक तहसील में रखा जाएगा।

4. सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा किसी ऐसी रीति में जैसे कि सरकार उचित समझे, प्रकाशित की जाएगी।

5. सूचना की अवधि के अवसान के पश्चात् सूचनाओं के संबंध में प्राप्त आपत्तियां या सुझाव (यदि कोई हों) पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, तब राज्य सरकार नए संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन करेगी अथव विद्यमान संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील को समाप्त करेगी अथवा यथास्थिति विद्यमान संभाग ज़िले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करेगी।

प्ररूप—एक
(नियम 2 देखिए)

अनुक्रमांक	प्रस्तावित संभाग/जिला/उप—खण्ड	प्रस्तावित संभाग/जिला/उप—खण्ड का मुख्यालय	प्रस्तावित संभाग/जिला/उप—खण्ड की सीमाएं	परिवर्तन के प्रकार	वर्तमान संभाग/जिला/उप—खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उत्तर— पूर्व— दक्षिण— पश्चिम—		

प्रस्तावित परिवर्तनों हेतु कारण..

....

[ ] प्ररुप-एक संशोधित नियम दिनांक 14 जून, 2019 जो कि राजपत्र दिनांक 21 जून, 2019 में प्रकाशित हैं, द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, देखें राजपत्र दिनांक 21 जून, 2019

प्ररूप-दो
(नियम 2 देखिए)

अनुक्रमांक	प्रस्तावित तहसील	प्रस्तावित तहसील का मुख्यालय	प्रस्तावित तहसील की सीमाएं	परिवर्तन के प्रकार (प्रस्तावित तहसील में ग्राम का नाम सम्मिलित करते हुए)	वर्तमान तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			उत्तर- दक्षिण- पूर्व- पश्चिम-		

प्रस्तावित परिवर्तनों हेतु कारण.......................................

....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-2-11-2018-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग द्वारा बनाये गये नियम क्रमांक क्र. एफ-2-11-2018-सात-शा. 6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No.F-2-11/2018/VII/Se.6-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of this department's Notification No.174-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960 published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 22nd January, 1960 and all rules previously made on the subject, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

   (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-rajswa Sanhita (Sambhagaon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 13 of 2018) that is 25th September, 2018.

[2. Any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or to create a new or abolish an existing division or district or sub-division shall be published in Form-I and any proposal to alter the limits of any tehsil or to create a new or abolish an existing tehsil shall be published in Form-II appended to these rules.]

3. In case of creation of a new tehsil or alteration of the limits of any tehsil the whole area of a Gram Panchayat shall be kept in one tehsil.

4. The notice shall be published in the Madhya Pradesh Gazette and in such manner as the State Government may deem fit.

[ ] Amended vide Amendment Rule dated 14th june 2019 published in Rajpatra dated 21st june, 2019, please see Rajpatra dated 21st june, 2019

5. After expiry of the notice period, the objection or suggestion received (if any) in respect of notice shall be considered by the State Government then the State Government shall create new or abolish existing division or district or sub-division or tehsil or alter the limits of existing division or district or sub-division or tehsil, as the case may be.

[

FORM- I
(see rule 2)

S. No.	Proposed division/district/sub-division	Headquarters of the proposed division/district/sub-division	Limits of the proposed division/district/sub-division	Nature of changes	Present divison/district/sub-division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			North- East- South- West-		

Reasons for proposed changes

....

....

]

FORM- II
(see rule 2)

S. No.	Proposed tahsil	Headquarter of the proposed tahsil	Limits of the proposed tahsil	Nature of changes (Name of Village included in the proposed tahsil))	Present tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			North- East- South- West-		

Reasons for proposed changes

....

....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

[ ] Amended vide Amendment Rule dated 14th June 2019 published in Rajpatra dated 21st June, 2019, Please see Rajpatra dated 21st June, 2019

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

क्रमांक एफ–2–11–2018–सात–शा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

इन नियमों में, –

1. नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2. किसी संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने या किसी नवीन संभाग या जिले या उप–खण्ड या तहसील को सृजित करने या किसी विद्यमान संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप–एक में प्रकाशित किया जाएगा."

2. प्ररूप–एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

प्ररूप – एक

(नियम 2 देखिए)

सूचना

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा ⊗(3) (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार........ संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन........संभाग/जिलों/उपखण्ड/तहसील सृजित करने, विद्यमान..............संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील को समाप्त करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, को अग्रेषित किए जा सकेंगे :–

अनुसूची

अनुक्रमांक	विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील में समाविष्ट किए गए क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/जिले/उपखण्ड/तहसील की सीमाएं	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.					उत्तर में....... पूर्व में.......... दक्षिण में...... पश्चिम में.....	
2.					उत्तर में........	

337

⊗ संशोधन नियम 25 जून 2020 जो कि राजपत्र दिनांक 26 जून, 2020 में प्रकाशित है द्वारा संशोधित, देखें राजपत्र दिनांक 26.06.2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					पूर्व में.......... दक्षिण में...... पश्चिम में.....	

प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कारण. . . . .

3. इन नियमों से संलग्न प्ररूप–दो का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

क्रमांक एफ. 2–11–2018–सात–शा.7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2–11–2018–सात–शा. 7–, दिनांक 14 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal the 14th June 2019

No.F-2-11-2018-VII-S.7.– In excercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Sambhagon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018, namely :-

AMENDMENTS

In these rules,-

1. for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or tehsil or to create a new or abolish an existing division or district or sub-division or tehsil shall be published in Form-I appended to these rules."

2. For Form-I the following Form shall be substituted, namely :-

"FORM-I
(See rule 2)
NOTICE

In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) ⊗(3) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in excercise of the powers conferred by the said Section, the State Government proposes to alter the limits of............. division/district/sub-division/tahsil, to create a new............. division/district/ sub-division/ tahsil, to abolish the existing............ division/district/sub-division/tahsil and to difine the boundaries, thereof, as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration after the expiary of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazzete" and any objection or suggestion in respect, thereof, may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, before the expiary of said period :-

SCHEDULE

S.No.	Name of the existing Division/ District/Sub-division/ Tahsil and its headquater	Proposed Changes (Give particulars of the areas to be included in or excluded from the existing Division/ District/Sub-division/Tahsil)	Name ot the Division/ District/Sub-division/Tahsil and its headquarter after the proposed Changes	Particulars of the areas comprised in the Division/ District/Sub-division/tahsil after the proposed Changes	Limits of Division/ District/sub-division/ Tahsil after the proposed changes	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.					In North...... In East...... In South...... In West......	
2.					In North...... In East...... In South...... In West......	

Reasons for Proposed Changes ....".

3. Form II appended to these rules shall be omitted.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

339

⊗ Amendment vide Amendment Rule dated 25th june 2020 published in Rajpatra dated 26th june, 2020. Please Rajpatra dated 26th june, 2020

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020—आषाढ़ 5, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक एफ–2–11–2018–सात–शा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा

340

उपधारा (2) के खण्ड (एक–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :–

संशोधन नियम

इन नियमों में, –

प्ररूप–एक में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 13 की उपधारा (3)" प्रतिस्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-11-2018-सात-शा-7, दिनांक 25 जून 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2020

F. 2-11/2018/VII/Sec7.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Sambhagon, Jilon, Upkhandon Tatha Tahsilon Ke Pariwartan, Srijan Tatha Samapti) Niyam, 2018 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with sub-section (1) and clause (i-a) of sub-section(3) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

AMENDMENT RULES

In these rules,-

In form-I for the words, figure and bracket "the proviso to sub-section (2) of Section 13" the words, figure and bracket "sub-section (3) of Section 13" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.